न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

फिसल नम्बर
99/2015/प्रा.पत्र/2015

तारीख दायरा
17.11.2015

तारीख निर्णय
03.08.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन विक्रेता/मैनेजर मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक
2–श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन विक्रेता/मैनेजर मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक
3–मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज.
4–प्रीति विजयवर्गीय पत्नि श्री पंकज विजय वर्गीय प्रोपरायटर मैसर्स विजयवर्गीय फूड इण्डस्ट्रीज ए–9 जय नगर रोड नं. 2 सीकर रोड जयपुर
5–मैसर्स विजयवर्गीय फूड इण्डस्ट्रीज ए–9 जय नगर रोड नं. 2 सीकर रोड जयपुर
..... अप्रार्थीगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:–निर्णय–: **दिनांक 03.08.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.05.2015 को समय 05:12 पीएम पर मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां पर श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विमल कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता/मैनेजर होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान की रैक में पोलीथीन थैली में 100–100 ग्राम के 80 नग **लाल मिर्च पावडर विजय वर्गीय मसाले पॉली पैक (Red Chilli Powder Vijay Vergiya Masale poly pack)** के रखे हुए थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री विमल कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री विमल कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **लाल मिर्च पावडर विजय वर्गीय मसाले पॉली पैक (Red Chilli Powder Vijay Vergiya Masale poly pack)** वास्ते मानक स्तर की जॉच

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 100–100 ग्राम के 20 नग(पैकेट) खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 100–100 ग्राम के 20 नग(पैकेट) **लाल मिर्च पावडर विजय वर्गीय मसाले पॉली पैक (Red Chilli Powder Vijay Vergiya Masale poly pack)** को 100–100 ग्राम के अलग–अलग 5–5 नग लेकर चार नमूना भाग तैयार किए एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–995 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–995 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन विक्रेता/मैनेजर मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज. ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स विजयवर्गीय फूड इण्डस्ट्रीज ए–9 जय नगर रोड नं. 2 सीकर रोड जयपुर राज. का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त लाल मिर्च पावडर क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स विजयवर्गीय फूड इण्डस्ट्रीज ए–9 जय नगर रोड नं. 2 सीकर रोड जयपुर को आवश्यक दस्तावेज हेतु पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/2642 दिनांक 03.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./398/एफ.एस.एस.ए./2015/415 दिनांक 08.07.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **लाल मिर्च पावडर विजय वर्गीय मसाले पॉली पैक (Red Chilli Powder Vijay Vergiya Masale poly pack)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस दिनांक 11.01.2018 को बाद तामिल प्राप्त हुआ परन्तु अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से दिनांक 11.01.2018 को श्री प्रमोद शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश करने का अण्डरटेकिंग दिया एवं वकालतनामा पेश

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

करने हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी वकालतनामा पेश नहीं किया। अप्रार्थी सं. 4 व 5 के प्रतिनिधि दिनांक 30.06.2017 को अंतिम बार न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद कोई जवाब पेश नहीं किया और ना ही इसके बाद स्वयं उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **लाल मिर्च पावडर विजय वर्गीय मसाले पॉली पैक (Red Chilli Powder Vijay Vergiya Masale poly pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **लाल मिर्च पावडर विजय वर्गीय मसाले पॉली पैक (Red Chilli Powder Vijay Vergiya Masale poly pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 ता 3 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 4 व 5 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/–(अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.08.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 03.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(परशुराम धाकड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0